न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

I/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा./2017/4197

1— भगवानदास तनय रमला रजक

2— लल्ले तनय रमला रजक

निबासी— ग्राम डारगुंवा जागीर, तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ

.............आवेदकगण

वनाम

1— नन्ने भईया तनय रमला चढार

निबासी— ग्राम डारगुंवा जागीर तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ

2— म0प्र0 शासन द्वारा रानि डारगुंवा तह0 बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ

.... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत डारगुंवा, **तह0 बल्देवगढ, जिला टीकमगढ द्वारा प्र0क0 91/अ12/2016—17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18/05/2017 से** परिवेदित होकर प्रस्तुत कर रहा है। जिसमें बिलंब हो गया है, जिसे माफ करने बावद धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 द्वारा ग्राम डारगुंवा जागीर स्थित भूमि, खसरा नंबर 563/3 एवं 565, रकवा क्रमशः 0.519 तथा 0.429 हैक्टेयर का सीमांकन वावद आवेदनपत्र देकर अनावेदक क्रमांक 02 से कराया, अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा बगैर सीमांत कृषकों एवं आवेदकगण को सूचनापत्र जारी किये ही दिनांक 03/05/2017 का सीमांकन दिखाकर, आवेदकगण का भूमि खसरा नंबर 563/3 रकवा 0.519 हैक्टेयर के अंशभाग 0.119 हैक्टर पर आवेदक का कब्जा बतला दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

निगरानी के आधार

B-O-R

25 OCT 2017

203

25/10/17

2

(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4197 भगवानदास विरूद्ध नन्ने

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त डारगुंवा तह. बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 91/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 3.1.19 (आर.के. जैन) सदस्य	